U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू0 पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226001
CIN-U31901UP1985SGC007135

पत्रांकः I/66633/2026/PAUPRV-HR0REFO(R031)/1/2026 Comp. No. 105700
दिनांकः 30-09-2026

कार्यालय ज्ञाप

निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (विलय के उपरान्त) के निदेशक मण्डल की दिनांक 25.08.2026 को आयोजित सत्रहवीं (17) बैठक में मद संख्या-17.20 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में कार्मिकों की प्रोन्नति हेतु चयन में उन्हें अवक्रमित करने, बन्द लिफाफे की कार्यवाही का प्रयोग करने आदि की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में का0ज्ञा0सं0: I/57420/2026/PAUPRV-HR0REFO(R031)/1/2026 Comp. No. 105700 दिनांक 27.06.2026 को एतद्द्वारा अवक्रमित करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के का0ज्ञा0सं0: I/59587/2026-का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29 कम्प्यूटर सं0 101871 दिनांक 20.07.2026 को यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में यथावत् अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः I/66633/2026/PAUPRV-HR0REFO(R031)/1/2026 Comp. No. 105700 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का० प्रबं० एवं प्रशा०/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीक्षा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र/झांसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), तापीय परिचालन / मानव संसाधन / पी०पी०एम०एम०/वाणिज्य/ईधन/आर० एण्ड एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव परियोजना/न्यू कोल ब्लॉक यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), प्रगति इकाई, यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक(का० एवं प्रशा०)/मुख्य अभियन्ता(परि० एवं अनु०), जल विद्युत स्कन्ध,

यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

7. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा०वा०से०/प्रशिक्षण), उ०नि०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०-02/औ०सं०/वित्त/लेखा), उ०नि०लि०, शक्ति भवन/ शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कट फाइल।

आज्ञा से,

30/9/2026

(आर0 के0 मिश्र)
अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

us.kaviniviniyam@uppcl.org

0522-2218329 / 2218420

संख्या I/59587/2026-का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29 कम्प्यूटर सं0 101871 दिनांक 20-07-2026

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में कारपोरेशन सेवकों की प्रोन्नति हेतु चयन में उन्हें अवक्रमित करने, बन्द लिफाफे की कार्यवाही का प्रयोग करने आदि की प्रक्रिया के निर्धारण विषयक कार्यालय ज्ञाप सं0-20-काविनी/राविप-29/2026-14-काविनी/87 दिनांक 19.03.2026 को एतद्द्वारा अवक्रमित करते हुए परिषदादेश सं0 1849-काविनी/राविप-29/1997-14-काविनी/87 दिनांक 08.10.1997 के प्रस्तर-2(क), (ख) व (ग) के साथ निम्नलिखित प्राविधानों को सम्मिलित किया जाता है :-

पूर्व व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।	(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।
(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।	(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।
(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।	(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। (घ) यदि किसी कार्मिक के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित की गई है तथा आरोप पत्र निर्गत किया जाना अनुध्यात (Contemplated) है। (ङ०) यदि किसी कार्मिक के विरूद्ध राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की किसी ऐजेन्सी द्वारा विभागीय/शासकीय कार्य से सम्बन्धित जॉच संस्थित की गयी है तथा अभियोजन की स्वीकृति एवं आरोप पत्र निर्गत किया जाना अनुध्यात (Contemplated) है। (च) प्रोन्नति हेतु किये गये चयन के उपरान्त प्रोन्नति आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है, जिसमें आरोप पत्र निर्गत किया जाना शेष है।

	(छ) प्रोन्नति हेतु किए गये चयन के उपरान्त प्रोन्नति आदेश निर्गत किए जाने से पूर्व विभागीय/शासकीय कार्य से सम्बन्धित जॉच संस्थित करने की संस्तुति किसी जाँच संस्था या सतर्कता अधिष्ठान आदि को की गई है। (ज) प्रोन्नति हेतु किए गये चयन के उपरान्त प्रोन्नति आदेश निर्गत किए जाने से पूर्व जॉच संस्थित कर अभियोजन दर्ज किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें आरोप पत्र निर्गत किया जाना शेष है।

2. उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव अर्थात आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी मानी जायेंगी। उक्त आदेश के फलस्वरूप परिषदादेश सं0 1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87 दिनांक 08.10.1997 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0

संख्या: I/59587/2026 (1)-का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29/पा0का0लि0/2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पष्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ0प्र0 पा0का0लि0/उ0प्र0 पा0ट्रां0का0लि0, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0।
10. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ।

12. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।

14. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

15. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

16. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

17. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

18. उप सचिव (अ0प्र0-02अ), उ0प्र0 पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को उनकी पत्रावली सं0 213-डी0एस0-02ए/2026 के सन्दर्भ में।

19. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

20/7/2026

(अंजू)

अनु सचिव (का0वि0नी0 एवं विनियम)